न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 07 / 2014

मैसर्स लक्ष्मीनारायण, एण्ड सन्स (बी.पी.सी.एल. खुदरा आउटलैट) गगवाना, एन.एच. –8, अजमेर द्वारा कृष्ण कुमार रेलन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण , भागीदार फर्म, निवासी–1223 / 12, रामगंज, अजमेर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर । .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 20 राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2012

उपस्थितः– 1. एस0के0 भार्गव –अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी– प्रर्वतन अधिकारी–पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांकः– 21.12.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि जिला रसद अधिकारी अजमेर एवं विस्फोटक विभाग के अनुमोदन के बिना अपीलान्ट फर्म द्वारा कारोबार स्थल व डिस्पेसिंग युनिट स्थल में परिवर्तन कर कारोबार करने की जांच जिला रसद अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा करवाई गई। जांच दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट फर्म द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद(अनुज्ञापत्र व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 9, 10 व अनुज्ञापन की शर्त संख्या 11 क का स्पष्ट उल्लघंन करना पाया जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट को जवाव सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। दोषी पाया जाने पर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 11 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 31.8.2012 से फर्म का अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। साथ ही तेल कम्पनियों को फर्म के पास उपलब्ध स्टॉक को नियमानुसार सात दिवस में निस्तारण करने व फर्म को पेट्रोल–डीजल की आपूर्ति रोके जाने हेतु आदेशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा इसी आक्षेपित आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट फर्म एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है। फर्म का ग्राम गगवाना तहसील अजमेर के आराजी खसरा नं0 717 रकबा 2 बीघा पर पेट्रोल व डीजल पम्प स्थापित है। पेट्रोल पम्प हेतु फर्म को दिनांक 13.9.1978 को भारत सरकार के उप सचिव पोल परिवहन और सडक परिवहन (रोड विंग) ट्रान्सपोर्ट भवन, न्यू दिल्ली से एन0ओ0सी0 प्रदान की गई।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 8.9.1981 उक्त भूमि पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित की गई। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तेल कम्पनी से प्रार्थी फर्म को पेट्रोल एवं डीजल की डीलरशीप प्राप्त है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3.12.1979 को राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंतण) आदेश 1979 प्रवर्त किया जिसके तहत जिला रसद अधिकारी, अजमेर से प्राप्त अनुज्ञप्ति संख्या 31/81 दिनांक 31.3.1990 तक के लिए नवीनीकृत था। तत्पश्चात अनुज्ञापन आदेश 1990 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी/जिला रसद अधिकारी अजमेर से अनुज्ञप्ति संख्या 60/1992/पी (9.7.1992) प्राप्त की गई जो 21.03.2021 तक के लिए नवीनीकृत है। अपीलान्ट फर्म द्वारा अनुज्ञापन आदेश 1990 व उसके अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निर्बन्धनों तथा केन्द्र व राज्य सरकार के अन्य आदेश व तेल कम्पनी के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही अनुज्ञप्ति में वर्णित पेट्रोलियम उत्पाद तेल कम्पनी से क्रय कर विक्रय हेतु भण्डारण कर पेट्रोल एवं डीजल पम्पों द्वारा नोजल से विक्रय करने का कारोबार किया जा रहा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी व अतिरिक्त कलक्टर अजमेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन में परिवर्तित किये जाने के तहत अपीलान्ट/प्रार्थी की खसरा नं0 916/1/2 (पूर्व खसरा संख्या 717) का कुल रकबा 0.622 हैक्टयर (7.68 बिस्वा) भूमि का अधिगृहण कर कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संभलाते हुए पेट्रोल पम्प को हटाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 14.8.2012 को श्री प्रताप व्यास प्रवर्तन अधिकारी व अन्य द्वारा अपीलार्थी के पेट्रोल पम्प का निरीक्षण किया गया। तत्समय अवाप्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण को सौपीं जा चुकी थी लेकिन ना तो भूमिगत टैंको का स्थान बदला गया था ना ही आफिस शिफ्ट किया गया था। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 16.8.2012 को अपीलान्ट को 6 अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत करते हुए कलक्टर द्वारा 2 बीघा भूमि सम्परिवर्तन किया जाने का उल्लेख करते हुए पेट्रोल पम्प को पीछे स्थापित किये जाने हेतु समय दिये जाने एवं लाईसेन्स निरस्त नहीं किये जाने का निवेदन किया गया। इसके बावजूद रेस्पो0 द्वारा बिना कोई जांच व साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये आक्षेपित आदेश दिनांक 31.8.2012 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति संख्या 62/92 निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति में विद्यमान वर्ग "A" बी संस्थापन में संशोधन हेतु तेल कम्पनी को आवेदन पत्र पेश किया गया। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा दिनांक 1.2.2013 को नक्शा स्वीकृत कर पत्र दिनांक 6.02.2013 द्वारा संशेधित नक्शा तेल कम्पनी को भेजा गया। इसक बाद ही तेल कम्पनी द्वारा फर्म के कारोबार स्थल व भूमिगत टेंकों का स्थान परिवर्तन किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 6.2.2013 को अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष असल लाईसेंस, संशोधित ड्रांईग (विस्फोटक विभाग), संशोधित विस्फोटक लाईसेंस, संशोधित विस्फोटक प्रपत्र 14 की प्रतियॉ भेजते हुए अनुज्ञप्ति संख्याा 60/92 को बहाल किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा इस पर प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट लेकर कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 31.8.2012 के विरूद्ध न्यायालय खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत पुर्ननिरीक्षण याचिका गृहणार्थ स्तर पर अपीलीय प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने के आदेश पर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट/प्रार्थी व तेल कम्पनी द्वारा अवाप्त भूमि 0.622 हैक्टयेर का ही कब्जा भारतीय

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया तथा निरीक्षण की तिथि तक ना तो कारोबार का स्थान बदला ना ही भूमिगत टैंको का स्थान बदला। उक्त कार्यवाही दिनांक 1..2.. 2013 को तेल कम्पनी द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति में संशोधन कराने के बाद ही की गई है। इसलिए अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का पेट्रोल पम्प सन् 1982 से स्थापित है। उनकी फर्म के विरूद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के बाबत अनाचार का कोई आरोप अथवा शिकायत लम्बित नही होने के बावजूद आक्षेपित आदेश से अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है जो अवैध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 31.8.2014 को अपास्त किया जावें एवं अपीलान्ट/प्रार्थी को पुनः पेट्रोलियम प्रावधानों के तहत पेट्रोल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट फर्म के गगवाना एन. एच.– 8 स्थित बीपीसीएल आउटलेट के अनुज्ञापत्र संख्या 60/92 का जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 14.08.2012 को निरीक्षण कर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार फर्म द्वारा कारोबार स्थल व डिस्पेसिंग युनिट स्थल में परिवर्तन, जिला रसद अधिकारी एवं विस्फोटक विभाग के अनुमोदन के बिना कारोबार करने व निरीक्षण दल को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाकर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 9, 10 व अनुज्ञापन की शर्त संख्या 11 क का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः फर्म के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त नोटिस के बिन्दू संख्या 4, 5 एवं 6 के "अवाप्ति अधिकारी एवं नेशनल हाइवे आथ्योरिटी की प्रथम सूचना में उक्त फर्म के कारोबार परिसर भूमि अवाप्त कर ली गई है। अवाप्त भूमि को फर्म द्वारा खाली कर एन.एच.आई. को संभला दिया जाने के उपरान्त भी पम्प पर पेट्रोल एवं डीजल का विकय करना पाया गया।" का सन्तोष जनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से अपीलान्ट फर्म द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 9, 10 व अनुज्ञापन की शर्त संख्या 11 क का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 11 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट फर्म मैसर्स लक्ष्मी नारायण एण्ड सन्स, बीपीसीएल आउटलेट, गगवाना, एन.एच. 8, अजमेर का अनुज्ञापत्र आक्षेपित आदेश से निरस्त किया गया है। इसमे जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अतः न्यायहित में अपील निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट फर्म द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति में विद्यमान वर्ग "ए", बी संस्थापन में संशोधन हेतु आवेदन कर दिनांक 1.2.2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के बाद ही तेल कम्पनी द्वारा फर्म के कारोबार स्थल व भूमिगत टैंकों का स्थान परिवर्तन किया जाना अवगत करवाया गया है। अपीलान्ट फर्म का यह भी

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कथन है कि उनके द्वारा असल लाईसेंस, संशोधित ड्रांईग (विस्फोटक विभाग), संशोधित विस्फोटक लाईसेंस, संशोधित विस्फोटक प्रपत्र 14 की प्रतियॉ सहित दिनांक 6.2.2013 को अनुज्ञप्ति संख्या 60/92 को बहाल किये जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णित नहीं किया गया है। हमारे समक्ष प्रकट तथ्यों के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किया जाना जाहिर नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.8.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र दिनांक 6.02.2013 के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः परीक्षण कर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner